

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अप्रैल 2018 की समाप्ति पर			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	10938	1077	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2507	6	0	500
3	असम	6191	86	0	0
4	बिहार	10299	-	0	200
5	छत्तीसगढ़	7340	15	1	3861
6	गोवा	992	432	0	0
7	गुजरात	12575	631	0	8000
8	हरियाणा	2207	1612	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	-	-	0	0
11	झारखंड	2272	-	0	750
12	कर्नाटक	17271	521	0	43484
13	केरल	2938	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1205	0	0
15	महाराष्ट्र	65993	1651	0	0
16	मणिपुर	65	133	0	0
17	मेघालय	1204	103	0	0
18	मिज़ोरम	434	60	0	0
19	नगालैंड	1689	44	0	0
20	उड़ीसा	17169	1935	111	4730
21	पुदुचेरी	549	-	0	1500
22	पंजाब	8663	0	0	0
23	राजस्थान	-	-	129	9250
24	तमिलनाडु	3241	-	0	3964
25	तेलंगाना	7464	1634	0	0
26	त्रिपुरा	1156	25	0	325
27	उत्तरप्रदेश	4744	200	0	0
28	उत्तराखंड	7699	-	89	0
29	पश्चिम बंगाल	12268	928	239	0
	कुल	207866	12296	568	76564

- टिप्पणियां 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।